

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1
संख्या- 440/37-1-2017-5(129)/2010
लखनऊ: दिनांक 23 मार्च, 2017

कार्यालय-आदेश

शासन की विज्ञप्ति/अधिसूचना संख्या-3548/37-1-2010-11(29)/2001 दिनांक 28.07.2010 एवं सपठित शासनादेश संख्या-835/37-1-2010-11(29)/2001 दिनांक 03.03.2011 द्वारा उ0प्र0 के समस्त जनपदों में सोसायटी फार प्रिवेन्शन ऑफ क्रूएलिटी टू एनीमल (एस0पी0सी0ए0) की कार्यकारिणी का गठन किया गया है। उक्त विज्ञप्ति के प्रस्तर-7 एवं 8 के अन्तर्गत शासन के कार्यालय आदेश संख्या-4542/37-1-2013 दिनांक 15.01.2013 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा कुल 65 जनपदों एवं कार्यालय आदेश संख्या-534/37-1-2013 दिनांक 04.06.2013 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा 09 जनपदों की एस0पी0सी0ए0 की कार्यकारिणी में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन किया गया था।

2- तात्कालिक प्रभाव से विज्ञप्ति के प्रस्तर-7 एवं 8 के अधीन हुये उपरोक्त सदस्यों के नामांकन को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

संख्या-440(1)/37-1-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, पो0 बॉक्स नं0-8672,13/थर्ड शीवार्ड रोड, बाल्मीकिनगर,थिरुवनमियूर, चेन्नई-600041
- 3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, (द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन।)
- 4- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- संबंधित जौनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, संबंधित जिला वन अधिकारी/नगर निगम के नगर आयुक्त/नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी।
- 6- निदेशक, प्रशासन एवं विकास/ निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- अपर निदेशक, ग्रेड-2 पशुपालन विभाग/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, (द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन।)
- 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0।
- 9- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0 लखनऊ के इस अनुरोध के साथ प्रेषित की कृपया आगामी गजट में प्रकाशित कर 1000 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 10-गार्ड बुक।

4.03.2017
पु0अ0 (कां०-22)
रामचंद्र

आज्ञा से,
(राहुल सिंह)
विशेष सचिव।

कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या 5193/सा0-2/शासनादेशों का प्रेषण 2016-17/ दिनांक 31-03-2017

शासनादेश संख्या-440/37-1-2017-5(129)/2010, दिनांक 23 मार्च, 2017 (छायाप्रति संलग्न) की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
- (2) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2 पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी / पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संलग्नक:- उक्तानुसार।

(डा० चरण सिंह यादव)
निदेशक
प्रशासन एवं विकास